भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1752

उत्तर देने की तारीख : 02.03.2020

कुलपति के विरुद्ध आरोप

†**1752. डॉ. आर. के. रंजनः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के संबंध में दो सदस्यों की स्वतंत्र समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुलपति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से संबंधित मुद्दों का सरकार द्वारा समाधान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर वर्ष 2005 के संबंधित अधिनियम, के प्रावधानों के अंतर्गत क्या उचित कार्रवाई की गई है और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक शुचिता बनाए रखने के लिए मणिपुर विश्वविद्यालय में एक पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त करने के संबंध में स्थिति क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : जी, हां।

(ख) से (ड.) : दो सदस्यीय समिति की सिफारिशों और प्रो. आद्या प्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन कुलपति (निलंबनाधीन) मणिपुर, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष की हैसियत से प्रो. आद्या प्रसाद पाण्डेय को कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय के पद से पदच्युत कर दिया है और 21.2.2020 को निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है। नए नियमित कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

****

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 1754
उत्तर देने की तारीख : 02.03.2020

मदरसों और मकतबों में शिक्षा

†1754. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में चल रहे मदरसों और मकतबों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) मदरसों और मकतबों की वित्तीय सहायता के लिए विगत दो वर्षों के दौरान कितनी निधि आबंटित की गई है; और
(ग) बच्चों की बेहतरी के लिए और अधिक मदरसों और मकतबों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यू-डीआईएसई आंकड़ों के अनुसार, देश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मदरसों / अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक वृहद योजना (एसपीईएमएम) लागू कर रहा है, जिसमें दो योजनाएं नामत: मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढाँचा विकास (आईडीएमआई) शामिल हैं। एसपीक्यूईएम के तहत, पिछले दो वर्षों अर्थात् 2017-18 और 2018-19 के लिए राज्यों को क्रमश: 7759.74 लाख रुपये और 1467.67 लाख रू. जारी किए गए थे।

(ग) : मदरसों / मकतबों की स्थापना में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

*****

अनुलग्नक

'मदरसों और मकतबों में शिक्षा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती नुसरत जहां द्वारा लोक सभा में दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1754 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मान्यता प्राप्त मदरसे	गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
आंध्र प्रदेश	8	236
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	0	228
बिहार	1560	171
चंडीगढ़	0	3
छत्तीसगढ	207	42
दादर और नगर हवेली	0	0
दमन और दीव	0	0
दिल्ली	0	0
गोवा	0	0
गुजरात	4	0
हरियाणा	2	16
हिमाचल प्रदेश	1	0
जम्मू और कश्मीर	1	1
झारखंड	24	140
कर्नाटक	12	7
केरल	2	1
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	1838	75
महाराष्ट्र	62	90
मणिपुर	14	0
मेघालय	0	0
मिजोरम	0	0
नागालैंड	0	0
ओडिशा	3	0
पुडुचेरी	0	0
पंजाब	1	15
राजस्थान	2574	19
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	0	3
तेलंगाना	0	206
त्रिपुरा	180	0
उत्तर प्रदेश	11927	3418
उत्तराखंड	330	26
पश्चिम बंगाल	604	772
भारत	**19354**	**5469**

स्रोत : यूडाइज 2017-18 (अनंतिम)

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1826

उत्तर देने की तारीख : 02.03.2020

तमिलनाडु में केन्द्रीय विद्यालय

†1826. सुश्री एस जोतिमणिः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय (केवी) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) तमिलनाडु के संपूर्ण करूर जिले में केवी की अनुपस्थिति के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा करूर में स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षिक अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में प्रचालित और निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित केवी की राज्य-वार सूची क्या है; और

(च) पब्लिक स्कूलों में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग) : केन्द्रीय विद्यालय (केवि) मुख्य रूप से रक्षा कर्मियों सहित स्थानांतरणीय केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा का समान कार्यक्रम प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाता है, यदि वह मंत्रालय अथवा भारत सरकार के विभागों/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रायोजित हो, जिसमें नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता के साथ-साथ सरकार का आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध हो। नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों को "चुनौती पद्धति" के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करनी होती है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है उन्हें करूर संसदीय क्षेत्र और साथ ही करूर जिले में नया केवी खोलने के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से निर्धारित प्रारूप में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना-समग्र शिक्षा की शुरूआत की है जिसमें तत्कालीन तीन केंद्र प्रायोजित योजनाएं-सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) को 01 अप्रैल, 2018 से एक साथ मिला दिया गया है। समग्र शिक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न अंतक्षेपों जैसे स्कूलों का उन्नयन, मौजूदा स्कूलों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और अनुकूल शिक्षण परिवेश प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल के लिए कम्पोजिट स्कूल ग्रांट का प्रावधान है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अवसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षा संस्थाओं में महत्वपूर्ण अवसंरचना निर्माण के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाने हेतु 31.5.2017 को उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) की स्थापना की है। केंद्रीय प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान घटक के तहत 2 करोड़ रू. की इकाई लागत और चयनित स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए 5 करोड़ की इकाई लागत के साथ गवर्मेंट आर्ट कॉलेज थंथोनीमलई, करूर के लिए निधि स्वीकृत की है।

(ड.) : आज की तारीख में, विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी अवसंरचना में 283 केवी चल रहे हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण सलंग्न है।

(च) : केंद्र सरकार ने पब्लिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ताक सुधारने और दक्षता संवर्धन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पहल की हैं:

i. सक्षमताओं को सुनिश्चित करने पर फोकस करने के लिए, कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणामों से संबंधित संदर्भ को शामिल करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 की केंद्रीय नियमावली को संशोधित किया गया है, जिसे तदनुसार अंतिम रूप दे दिया गया और राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है।

ii. शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने जिला स्तर पर अधिगम परिणामों के अंतरालों की पहचान करने और उन अंतरालों को दूर करने हेतु कार्यनीति तैयार करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को समर्थ बनाने हेतु 13 नवम्बन, 2017 को कक्षा

III, V और VIII के अधिगम परिणामों पर आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का आयोजन किया है। इसी प्रकार, कक्षा X के लिए एनएएस का आयोजन 5 फरवरी, 2018 को किया गया था।

iii. समग्र शिक्षा के तहत, सभी राज्यों और संघ राज्येक्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और स्कूलों में अन्य सुविधाओं के प्रावधान के लिए धन दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अन्य उपाय जैसे सेवारत शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, स्कूलों को पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान, आईसीटी और डिजिटल पहल, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, पढ़े भारत बढ़े भारत, आदि शामिल हैं।

iv. ऑनलाइन डी.एलएड पाठ्यक्रम दिनांक 3 अक्टूबर 2017 से शुरू किया गया था और 9,58,513 शिक्षकों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

v. शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए चार वर्षीय बी.एड. एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 29 मार्च, 2019 को आधिकारिक गजट में विनियम प्रकाशित किए गए और दिनांक 3 जून, 2019 से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए।

vi. वर्ष 2021 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए) में भाग लेने का निर्णय लिया है, जो कि क्षमता आधारित आकलन है।

vii. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का ग्रेड निर्धारित करने के लिए 70 संकेतकों पर आधारित कार्य-निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) बनाया है।

viii. वर्ष 2019-20 में, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लगभग 42 लाख शिक्षकों और अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने सहित महत्वपूर्ण सोच, समस्या सुलझाने, रचनात्मकता, साथ ही सामाजिक-व्यक्तिगत गुण जैसे सहयोग, टीम-वर्क आदि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, ताकि कक्षाओं को सीखने के अनुकूल बनाया जा सके और बच्चों की दक्षता में सुधार किया जा सके।

****

अनुलग्नक

'तमिलनाडु में केंद्रीय विद्यालय' के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री एस जोतिमणि द्वारा लोक सभा में दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1826 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

25.2.2020 तक अस्थायी भवनों में कार्यरत केंद्रीय विद्यालयों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अस्थायी भवन के साथ केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	6
2	अरुणाचल प्रदेश	8
3	असम	6
4	बिहार	17
5	छत्तीसगढ़	8
6	दिल्ली	5
7	दादर और नगर हवेली	1
8	दीव	1
9	गुजरात	3
10	हरियाणा	10
11	हिमाचल प्रदेश	8
12	जम्मू और कश्मीर	18
13	झारखंड	14
14	कर्नाटक	11
15	केरल	8
	लद्दाख	1
16	लक्षद्वीप	1
17	मध्य प्रदेश	23
18	महाराष्ट्र	5
19	मणिपुर	7
20	मिजोरम	2
21	नगालैंड	3
22	ओडिशा	21
23	पुद्दुचेरी	2
24	पंजाब	12
25	राजस्थान	18
26	तमिलनाडु	4
27	तेलंगाना	9
28	त्रिपुरा	3
29	उत्तर प्रदेश	23
30	उत्तराखंड	13
31	पश्चिम बंगाल	12
कुल		**283**

*****

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 1747
उत्तर देने की तारीख : 02.03.2020

'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा'

†1747. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं;
(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और
(ग) इस पहल के माध्यम से शिक्षा के किन-किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): जी, हां। भारत सरकार ने 'सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा' प्रदान करने के लिए अर्थात् सभी के लिए अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा को उपलब्ध कराने, सुलभ और वहनीय बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं। प्री-स्कूल से XII कक्षा तक स्कूल शिक्षा को किसी खंडीकरण के बिना, समग्र रूप से चलाने के लिए, केंद्रीय बजट 2018-19 के बजट प्रस्ताव के अनुसरण में, स्कूल शिक्षा और सारक्षता विभाग ने एक केंद्रीय योजना के रूप में वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा-स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना शुरू की है। इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) के तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार प्री-स्कूल से कक्षा XII तक है और यह स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और उचित गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने की ओर लक्षित है। इसमें 'स्कूल' को प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक सातत्य के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस योजना का मुख्य बल स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर है और सभी पहलों के लिए कार्यनीति स्कूलिंग के सभी स्तरों पर अधिगम परिणामों को बढ़ाने की होगी। समग्र शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं:- (क) गुणवत्तापरक शिक्षा का

प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना; (ख) स्कूल शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतरालों को पाटना; (ग) स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशिता सुनिश्चित करना; (घ) स्कूलिंग प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना; (ङ) शिक्षा के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करना; (च) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना; और (छ) अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी/राज्य शिक्षा संस्थानों और डीआईईटी का सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन।

समग्र शिक्षा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः-

(i) वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूलों के स्तरोन्नयन और मानकों के अनुसार स्कूल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण का प्रावधान

(ii) समग्र स्कूल अनुदान को 14,500-50,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000-1 लाख रुपए तक किया गया और यह स्कूल नामांकन के आधार पर आबंटित किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक स्कूलों के लिए 5000/- रुपए, उच्चतर प्राथमिक स्कूलों के लिए 10,000/-रुपए और माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 25,000/- रुपए तक की लागत पर खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान

(iv) प्राथमिक स्कूलों के लिए 5,000/-रुपए, कम्पोजिट प्रारंभिक स्कूल के लिए 13,000/- रुपए, माध्यमिक स्कूल (9वीं और 10वीं कक्षा) के लिए 10,000/- रुपए, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (11वीं और 12वीं कक्षा) के लिए 10,000/-रुपए, कम्पोजिट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (1 से 12वीं कक्षा) के लिए 20,000/- रुपए की लागत पर पुस्तकालय हेतु वार्षिक अनुदान

(v) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए आबंटन को 3,000/- रुपए से बढ़ाकर 3,500/- रुपए प्रति बालक प्रति वर्ष किया गया, जिसमें सीडब्ल्यूएसएन बालिकाओं के लिए 200 रुपए प्रति माह का स्टाईपेंड शामिल है, जो I से XII कक्षा तक दिया जाना होगा – पहले यह केवल IX से XII कक्षा के लिए ही था।

(vi) वर्दियों के लिए आबंटन को 400/- रुपए से बढ़ाकर 600/- रुपए प्रति बालक प्रति वर्ष किया गया।

(vii) पाठ्य-पुस्तकों के लिए आबंटन को 150/250 रुपए से बढ़ाकर 250/400 रुपए प्रति बालक प्रति वर्ष किया गया।

(viii) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 में स्तरोन्नयन

(ix) सेवाकालीन और सेवा-पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्था के रूप में एससीईआरटी के साथ अध्यापकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एससीईआरटी और डीआईईटी जैसी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

(x) स्मार्ट शिक्षण-कक्षों, डिजिटल बोर्डों और डीटीएच चैनल के माध्यम से शिक्षा में डिजीटल प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1750

उत्तर देने की तारीख : 02.03.2020

समग्र शिक्षा अभियान

†**1750. डॉ॰ मोहम्मद जावेद:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के लिए समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वयन के संबंध में कोई वित्तीय रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो एसएसए की जरूरतों, वित्त और वित्तपोषण के स्रोतों के बारे में अनुमान लगाने और योजना बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग) : समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा की एक एकीकृत योजना है और इसे वर्ष 2018-19 से देशभर में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्व केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका विस्तार प्री-स्कूल से कक्षा XII तक है और इसका लक्ष्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करना है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, विभिन्न कार्यक्रमों, उप-कार्यक्रमों और कार्यकलापों के संबंध में वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानक निर्धारित किए जाते हैं। तदनुसार, राज्यों को विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत वित्तीय मैपिंग/निधियों की अपेक्षाओं की योजना बनाने की सलाह दी गई है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उनकी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक योजना तैयार की जाती है और यह उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्ताव में प्रतिबिंबित होता है। फिर इन योजनाओं का योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानकों, निधियों की उपलब्धता और राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन तथा अनुमोदन/आकलन किया जाता है।

*****

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 1819
उत्तर देने की तारीख : 02.03.2020

एसएसए

1819. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने देश के राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चालू और लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो इसमें सम्मिलित एजेंसियों के नाम क्या हैं और इसके राज्य-वार परिणाम क्या रहे;
(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य राज्य-वार और वर्ष-वार क्या हैं;
(घ) उक्त अवधि के दौरान चालू और लंबित परियोजनाओं हेतु जारी और प्रयुक्त निधि कितनी है; और
(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) : देशभर में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम की पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2000-2001 से कार्यान्वयनाधीन थी। अब, एसएसए को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की दो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के साथ मिलाकर, वर्ष 2018-19 से देश में शुरू की गई एक नई एकीकृत स्कूल योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका विस्तार प्री-स्कूल से कक्षा-XII तक है और इसका लक्ष्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

एसएसए/समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना में एक अंतर्निर्मित समवर्ती संयुक्त मूल्यांकन और मॉनीटरिंग प्रणाली है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है। प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, प्रत्येक वर्ष एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) के जरिए शैक्षिक डाटा एकत्र किया जाता है। कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों की अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 13.11.2017 को एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का आयोजन किया गया। इन मूल्यांकनों और मॉनीटरिंग की स्थिति सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा 2010-11 से लेकर 2015-16 तक की अवधि के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर एक अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया था और तदनुसार दिनांक 21.07.2017 को संसद के पटल पर 2017 की रिपोर्ट संख्या 23 रखी गई। 2017-18 में एसएसए योजना का एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराया गया। उसमें बताया गया है कि एसएसए ने स्कूलों में सर्वसुलभ पहुंच और अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसने हाल ही के वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता पर एसएसए के फोकस की सराहना की है।

(ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक स्कूलों के लिए स्कूल अवसंरचना की संचयी वास्तविक प्रगति का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्नक-I पर है।

(घ) और (ड.) : एसएसए की पूर्व योजना और समग्र शिक्षा के अंतर्गत उपलब्ध निधि को भी मौजूदा आवर्ती कार्यकलापों के उपयोग और शौचालय, स्कूल, अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों, प्रयोगशालाओं आदि जैसी लंबित अवसंरचनाओं को पूरा करने के लिए जारी किया जाता हैं। मौजूदा वर्ष के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किया गया केंद्रीय शेयर और व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।

****

संलग्नक-I

'एसएसए' के संबंध में श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1819 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) / समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्कूली अवसंरचना की संचयी भौतिक प्रगति पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के विवरण दिखाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य क्षेत्रसंघ राज्य/	2016-17													
		प्राथमिक स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		पेय जल		बालक शौचालय		बालिकाओं के लिए अलग शौचालय		सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	40	12	0	1	0	1	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	648	290	244	63	577	4831	308	1229	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	18	0	0	25	420	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	68	0	13	1511	112	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	1	650	0	0	0	12857	0	0	0	0	0	0	0	1405
6	चंडीगढ़	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	छतीसगढ़	0	100	0	57	113	997	0	30	0	43	1199	516	0	1192
8	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	114	0	0	7
9	दमन दीव	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0
10	दिल्ली	0	0	0	0	32	57	0	0	8	0	0	4	0	0
11	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	17	0	26	0	0	0	0
12	गुजरात	0	0	0	0	3432	3432	0	0	1595	1595	1295	1295	0	0
13	हरियाणा	0	20	0	14	367	344	0	3	646	402	493	201	0	2099
14	हिमाचल प्रदेश	0	27	0	10	31	135	0	58	0	0	8	4	0	3
15	जम्मू और कश्मीर	0	161	0	11	502	1584	0	3	0	1	1	2517	0	13
16	झारखंड	0	103	0	195	0	2826	0	0	0	0	0	0	0	0
17	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	155	21	135	1	0	0
18	केरल	0	258	0	0	96	96	0	0	141	5	47	47	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	166	219	34	644	0	2761	54	0	1760	1276	729	104	0	0
21	महाराष्ट्र	0	269	0	41	456	2040	0	0	1267	212	933	151	0	0
22	मणिपुर	0	97	0	19	0	433	0	0	0	0	0	43	0	0
23	मेघालय	0	6	0	0	22	438	0	352	0	3474	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नगालैंड	0	42	0	16	27	59	0	224	9	9	21	21	0	0
26	ओडिशा	28	275	0	40	529	1145	0	121	985	292	1227	237	0	0
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1

28	पंजाब	2	0	0	0	892	1932	0	0	60	60	21	20	0	0
29	राजस्थान	0	284	0	0	715	665	0	0	242	242	33	33	0	0
30	सिक्किम	0	3	0	3	2	2	108	108	0	126	0	34	0	0
31	तमिलनाडु	5	39	3	5	175	0	0	0	893	0	368	0	0	0
32	तेलंगाना	0	0	0	0	258	247	2463	402	182	1719	155	155	0	0
33	त्रिपुरा	0	5	0	0	113	229	4	2	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	8	0	3	714	826	0	944	697	326	559	559	0	0
35	उत्तराखंड	240	52	25	13	140	121	0	0	0	0	0	6	0	0
36	पश्चिम बंगाल	1	289	0	332	0	2196	0	108	1706	0	1348	536	0	33
	कुल	443	2997	62	1420	10845	36292	2873	2436	10923	14663	8994	7713	0	4754

स्रोत: पीएमएस रिपोर्ट आंकड़े

समापन के आंकड़ों में पिछले वर्षों के अनुमोदन भी शामिल हैं।

संलग्नक-I

'एसएसए' के संबंध में श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1819 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) / समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्कूली अवसंरचना की संचयी भौतिक प्रगति पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के विवरण दिखाने वाला बयान

क्र.सं.	राज्य क्षेत्रसंघ राज्य/	2017-18													
		प्राथमिक स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		पेय जल		बालक शौचालय		बालिकाओं के लिए अलग शौचालय		सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	15	0	1	0	1	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	498	516	0	209	147	760	210	307	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	31	25	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	77	0	9	906	298	0	0	0	0	354	0	0	0
5	बिहार	0	59	0	0	0	6172	19	19	1358	397	1647	587	0	19
6	चंडीगढ़	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छतीसगढ़	9	33	0	30	665	483	0	5	0	0	0	0	0	477
8	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
10	दिल्ली	0	0	0	0	284	79	0	0	7	0	18	42	0	0
11	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	6	4	14	0	0	0	0
12	गुजरात	0	0	0	0	3960	2794	0	0	1410	1410	1222	1222	0	0
13	हरियाणा	0	3	0	0	452	949	22	19	0	249	0	346	0	5
14	हिमाचल प्रदेश	3	6	0	3	34	61	0	1	0	0	0	0	0	77
15	जम्मू और कश्मीर	15	115	0	8	280	847	0	0	35	2	22	0	0	2
16	झारखंड	84	23	0	40	286	2901	0	0	164	164	0	0	0	0
17	कर्नाटक	0	0	0	0	625	306	0	0	0	0	0	0	0	0
18	केरल	7	7	8	8	112	112	150	150	244	244	65	56	25	25
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	414	224	99	283	0	1518	25	25	421	1176	449	619	0	0
21	महाराष्ट्र	0	0	0	11	1090	912	0	0	0	533		481	0	0
22	मणिपुर	88	14	114	8	0	247	0	36	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	8	0	60	18	144	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	2	0	2	0	69	0	0	0	0	0	0	0	729

25	नगालैंड	42	1	16	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	170	101	8	28	719	773	0	24	1528	450	1194	504	249	113
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	1	0	0	684	48	6	6	196	196	102	0	0	0
29	राजस्थान	58	8	0	0	1334	27	0	0	0	0	0	0	0	0
30	सिक्किम	0	0	0	0	1	0	0	0	2	56	1	8	0	62
31	तमिलनाडु	0	5	0	3	680	795	0	0	0	893	0	368	0	590
32	तेलंगाना	175	160	0	18	122	2450	0	2420	0	182	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	7	0	0	620	539	0	2	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	912	1092	0	315	2961	3241	3197	3197	0	0
35	उत्तराखंड	231	54	17	11	131	89	0	0	165	100	219	3	0	0
36	पश्चिम बंगाल	0	83	0	215	0	2420	3	68	0	181	0	459	0	14
	कुल	1296	992	262	738	14450	26681	225	3306	8642	10251	8700	8199	274	2113

स्रोत: पीएमएस रिपोर्ट आंकड़े

समापन के आंकड़ों में पिछले वर्षों के अनुमोदन भी शामिल हैं।

संलग्नक-I

'एसएसए' के संबंध में श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1819 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) / समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्कूली अवसंरचना की संचयी भौतिक प्रगति पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के विवरण दिखाने वाला बयान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2018-19													
		प्रारंभिक स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		पेय जल		बालक शौचालय		बालिकाओं के लिए अलग शौचालय		सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	486	0	0	0	121	0	136	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	13	0	0	0	1947	0	0	0	2112	0	182	0	0
5	बिहार	0	43	0	0	0	1660	0	0	0	955	0	1053	0	1234
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	114	1	61	0	581	0	15	0	60	0	414	0	360
8	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	24	123	0	0	0	0	0	0	0	3
9	दमन दीव	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	2	0	0
11	गोवा	0	0	0	0	0	25	0	0	1	9	0	0	0	0
12	गुजरात	0	0	0	0	864	2030	0	0	269	269	522	522	228	70
13	हरियाणा	0	24	0	19	0	260	6	11	139	139	79	79	0	35
14	हिमाचल प्रदेश	0	3	6	4	2	19	9	0	2	0	2	0	1	0
15	जम्मू और कश्मीर	12	0	15	0	845	0	0	0	316	0	167	0	0	0
16	झारखंड	0	28	0	12	77	1645	0	0	0	0	0	0	0	0
17	कर्नाटक	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	1851	0	0
18	केरल	4	4	8	8	62	62	344	344	200	184	232	212	70	68
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	475	561	175	455	0	1984	0	29	988	418	697	216	0	0
21	महाराष्ट्र	0	0	0	0	57	169	0	0	272	788	246	547	0	0
22	मणिपुर	0	64	0	62	14	250	0	83	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	5	2	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0

24	मिजोरम	0	18	0	2	0	0	0	0	9	0	6	0	0	0
25	नगालैंड	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	10	54	0	8	0	315	14	0	161	0	142	0	0	41
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	99	0	0
29	राजस्थान	83	22	47	0	626	239	0	0	0	0	0	0	0	0
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	64	0
31	तमिलनाडु	0	0	0	1	0	0	0	0	228	0	273	0	0	1605
32	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	4	0	9	0	0	0	2	0	1	0	54	0
34	उत्तर प्रदेश	0	0	22	0	0	0	0	0	1882	1674	2043	2043	0	0
35	उत्तराखंड	131	170	9	165	10	215	0	0	26	51	37	85	0	0
36	पश्चिम बंगाल	7	40	0	216	0	1206	0	31	0	209	0	270	0	3
	कुल	722	1170	289	1026	2593	13621	379	513	4495	6989	4447	7711	417	3419

स्रोत: पीएमएस रिपोर्ट आंकड़े

समापन के आंकड़ों में पिछले वर्षों के अनुमोदन भी शामिल हैं।

संलग्नक-I

'एसएसए' के संबंध में श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1819 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) / समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्कूली अवसंरचना की संचयी भौतिक प्रगति पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के विवरण दिखाने वाला बयान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019-20 (31.01.2020 **तक**)													
		प्रारंभिक स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		पेय जल		बालक शौचालय		बालिकाओं के लिए अलग शौचालय		सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	2	69	0	0	0	1014	0	671	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	9	31	471	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	837	0	998	0	1587	0	664	0	0	0
5	बिहार	0	12	0	0	3000	452	490	0	1742	0	683	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	60	17	1	8	0	197	1115	0	55	0	119	0	0	0
8	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन दीव	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	0	0	0	0	150	4	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	गुजरात	0	0	0	0	1108	0	0	0	1379	0	1503	0	1995	140
13	हरियाणा	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	3481	296
14	हिमाचल प्रदेश	9	0	1	2	92	10	0	1	35	1	8	1	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	4	0	8	0	19	0	0	0	0	1	0	2	0	0
16	झारखंड	12	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0
17	कर्नाटक	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
18	केरल	17	0	0	0	32	0	8	0	81	1	45	4	81	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	2351	970	241	12	1108	0	629	0	0	0
21	महाराष्ट्र	0	1	33	0	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0
22	मणिपुर	84	3	10	9	293	9	0	0	1	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	मिजोरम	14	0	4	0	0	0	260	0	52	0	38	0	0	0
25	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	4	0	0	0	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	0	0	0	0	49	6	0	0	0	0	0	0	0
29	राजस्थान Rajasthan	23	12	0	5	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	0	0	0	0	20	0	46	0	1475	0	1849	0	1643	0
32	तेलंगाना	0	15	0	0	0	0	715	335	650	0	450	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	1	391	0	10	1	7	1	199	0
34	उत्तर प्रदेश	0	0	7	5	702	3	70	0	231	0	237	0	0	0
35	उत्तराखंड	140	0	15	0	70	0	78	0	4	0	14	0	5	0
36	पश्चिम बंगाल	0	0	2	0	0	0	2	0	1123	0	658	0	611	0
	कुल	368	60	92	31	10012	2234	4891	354	10547	4	7575	8	8427	436

स्रोत: पीएमएस रिपोर्ट आंकड़े

समापन के आंकड़ों में पिछले वर्षों के अनुमोदन भी शामिल हैं।

संलग्नक- II

'एसएसए' के संबंध में श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1819 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) / समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्कूली अवसंरचना की संचयी भौतिक प्रगति राज्य / संघ राज्य-वार दर्शाने वाला विवरण।

(रू. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	2019-20	
		समग्र शिक्षा	
		केंद्रीय शेयर जारी * (एडहॉक + 1 + 2 किस्त) (26.02.2020 **को)**	**व्यय #** (31.01.2020 **तक**)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3093.94	2807.06
2	आंध्र प्रदेश	95984.12	137052.63
3	अरुणाचल प्रदेश	23874.17	21988.16
4	असम	112061.02	108998.16
5	बिहार	315693.12	396228.19
6	चंडीगढ़	6371.14	7018.03
7	छत्तीसगढ़	95669.73	105130.76
8	दादरा और एन। हवेली	3835.47	2648.55
9	दमन और दीव	924.44	449.47
10	दिल्ली	19262.26	21691.04
11	गोवा	1426.06	1964.84
12	गुजरात	96554.57	102651.58
13	हरियाणा	61907.05	86324.59
14	हिमाचल प्रदेश	44318.07	28653.08
15	जम्मू और कश्मीर	15478.19	18731.36
16	झारखंड	88183.57	124826.24
17	कर्नाटक	68159.97	107374.01
18	केरल	21420.28	19058.9
19	लक्षद्वीप	728.11	359.02
20	मध्य प्रदेश	233681.84	316309.7
21	महाराष्ट्र	73423.81	82671.89

22	मणिपुर	22085.15	19282.71
23	मेघालय	32311.14	32618.28
24	मिजोरम	16556.47	9985.37
25	नगालैंड	10773.19	9238.5
26	ओडिशा	189169.48	207317.32
27	पुडुचेरी	305.8	951.97
28	पंजाब	45324.488	45670.96
29	राजस्थान	247368.11	265700.18
30	सिक्किम	8892.1	6742.09
31	तमिलनाडु	164858.54	209132.92
32	तेलंगाना	101505.9	111706.9
33	त्रिपुरा	22227.72	23107.4
34	उत्तर प्रदेश	476812.5	495045.27
35	उत्तराखंड	46488.53	48092.61
36	पश्चिम बंगाल	157905.49	246014.75
	कुल	2924635.53	3423544.48

नोट: ऊपर दिखाया गया व्यय केंद्रीय रिलीज, राज्य शेयर रिलीज, वित्त आयोग पुरस्कार और विविध आय से प्राप्तियों के खिलाफ है, यदि कोई हो।

** 26.02.2020 (**एडहॉक + पहली किस्त + 2 किस्त) पर जारी***

*# **स्रोत: पीएमएस ने आंकड़े बताए***

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1836

उत्तर देने की तारीख : 02.03.2020

एसएसए की निगरानी

†**1836. श्रीमती चिंता अनुराधा:**

श्री संजय काका पाटीलः

श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधार्रित लक्ष्यों की प्राप्ति में प्राप्त सफलता हेतु सर्व शिक्षा अभियान की कोई निगरानी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत लक्ष्यों से प्राप्त उपलब्धि और विचारित मानकों से लाभान्वित लोगों की राज्य-वार विशेषकर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर किया गया व्यय और इससे लाभान्वित लड़कों और लड़कियों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : देशभर में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए, वर्ष 2000-2001 से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वयनाधीन थी। अब, एसएसए को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की दो अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के साथ समग्र शिक्षा-नामक एक नई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसे वर्ष 2018-19 से देश में शुरू किया गया है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका विस्तार प्री-स्कूल से कक्षा XII तक है और इसका लक्ष्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और उचित गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है।

एसएसए/समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना में एक अंतर्निर्मित समवर्ती संयुक्त मूल्यांकन और मॉनीटरिंग प्रणाली है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है। प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, प्रत्येक वर्ष एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) के जरिए शैक्षिक डाटा एकत्र किया जाता है। कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों की अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 13.11.2017 को एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का आयोजन किया गया। इन

मूल्यांकनों और मॉनीटरिंग की स्थिति सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा 2010-11 से लेकर 2015-16 तक की अवधि के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर एक अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया था और तदनुसार दिनांक 21.07.2017 को संसद के पटल पर 2017 की रिपोर्ट संख्या 23 रखी गई। 2017-18 में एसएसए योजना का एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया गया। उसमें बताया गया है कि एसएसए ने स्कूलों में सर्वसुलभ पहुंच और अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसने हाल ही के वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता पर एसएसए के फोकस की सराहना की है।

(ख) और (ग) : एसएसए की 2001 में शुरूआत से 2017-18 तक और प्रारंभिक स्तर पर 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा संबंधी अनुमोदनों और वास्तविक अवसंरचना की प्रगति संलग्नक-I में दी गई है।

वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन संबंधी ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/समग्र शिक्षा के तहत रिलीज किया गया केंद्रीय भाग और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्नक - III में दिया गया है।

वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्रारंभिक स्तर पर बालकों और बालिकाओं का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन संबंधी ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्नक - IV में दिया गया है।

******

संलग्नक-I

'एसएसए की निगरानी' के संबंध में श्रीमती चिंता अनुराधा, श्री संजय काका पाटील और श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1836 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

एसएसए/समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक स्कूलों के लिए स्कूल अवसंरचना की संचयी वास्तविक प्रगति दर्शाने वाला विवरण (31.01.2020 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रारंभिक स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		पेय जल		बालक शौचालय		बालिकाओं के लिए अलग शौचालय		सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान निकोबार	8	6	0	0	294	269	83	83	91	91	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3408	3408	1047	1047	70273	69846	7143	6895	16350	15216	19196	18401	3045	3045
3	अरुणाचल प्रदेश	1833	1833	540	540	5448	5437	2362	1891	2072	2072	3322	3322	315	315
4	असम	11012	10928	1192	1192	73341	70653	1786	788	19001	15238	42504	41486	0	0
5	बिहार	18467	15080	544	532	298846	277340	26201	25324	48492	45789	36979	35236	16710	15328
6	चंडीगढ़	27	25	10	10	304	177	0	0	12	12	0	0	5	4
7	छत्तीसगढ़	10632	10128	8808	8536	51309	49118	4781	3652	11247	10468	35573	32183	38044	32499
8	दादर नगर हवेली	60	60	0	0	694	594	91	91	75	75	258	258	271	264
9	दमन दीव	9	8	6	4	114	79	80	80	53	53	27	27	85	42
10	दिल्ली	13	13	0	0	3189	2613	68	68	667	637	724	613	0	0
11	गोवा	0	0	0	0	227	173	637	637	611	600	644	635	0	0
12	गुजरात	835	835	0	0	77531	74809	5089	5089	22188	20808	20380	18877	2222	210
13	हरियाणा	1036	943	1389	1317	30308	29344	6117	5440	8061	7923	11812	11735	9470	6285
14	हिमाचल प्रदेश	96	90	44	28	11586	11416	2491	2481	4707	4671	9990	9977	2781	2777
15	जम्मू और कश्मीर	10655	9411	1178	1038	24886	19598	2745	2226	9174	4541	18264	18077	220	216
16	झारखंड	19448	19193	10224	9992	108401	103609	7329	7329	8239	8239	16568	16568	2000	1588
17	कर्नाटक	3740	3738	16	11	57279	57244	22861	22861	27520	24640	24818	22832	2804	2804
18	केरल	534	534	46	42	8578	8546	10690	10682	12449	12217	7948	7878	1981	1898
19	लक्षद्वीप	7	1	2	1	25	19	30	5	30	9	10	9	0	0
20	मध्य प्रदेश	27580	26482	19945	19175	129660	121105	18964	18710	32592	30767	63376	61078	1868	1868
21	महाराष्ट्र	13001	12982	5052	5052	80490	78913	8634	7586	12443	11649	23215	22668	0	0
22	मणिपुर	1040	760	330	172	3883	3280	746	606	1460	1359	4221	4209	0	0
23	मेघालय	2834	2744	1332	1243	7666	7306	2991	2991	4378	4378	5295	5295	0	0
24	मिजोरम	811	699	651	614	2019	1979	2030	1770	3694	3633	3367	3323	1258	1132
25	नगालैंड	504	403	577	528	4776	4770	1789	1789	2392	2392	2394	2394	0	0
26	ओडिशा	10369	9749	9242	9048	77885	74148	7343	7204	15070	13079	49915	48033	32022	28971
27	पुडुचेरी	5	4	2	2	508	497	345	345	312	312	132	132	94	94
28	पंजाब	678	579	859	857	31481	28288	17743	17737	18501	18501	6352	6172	5212	5095
29	राजस्थान	6805	6775	3201	3170	95433	93714	23283	23283	34235	34235	9964	9962	157	157
30	सिक्किम	56	56	59	59	605	605	660	660	886	866	608	598	137	73
31	तमिलनाडु	2740	2740	5804	5804	38727	38647	17376	17330	26283	24580	26162	24040	11541	7644

32	तेलंगाना	4615	4615	913	913	38865	38757	7797	7082	14440	10631	12666	12216	1952	1952
33	त्रिपुरा	1430	1406	636	618	5894	5805	1598	1207	1461	1450	3752	3745	515	262
34	उत्तर प्रदेश	31983	31394	30905	30593	315531	312489	15385	14548	21166	19212	12903	12192	57	57
35	उत्तराखंड	3390	2619	2223	1751	9334	8678	6373	6160	4907	4812	16015	15711	341	336
36	पश्चिम बंगाल	10682	7390	4871	3376	232296	213114	12041	10005	24560	22399	40443	38945	14733	7187

स्रोत: पीएमएस रिपोर्ट आंकड़े

संलग्नक-II

एसएसए की निगरानी' के संबंध में श्रीमती चिंता अनुराधा, श्री संजय काका पाटील और श्री वाई. देवेन्द्रप्पा द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1836 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

प्राथमिक स्तर पर एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक बच्चों का नामांकन

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	2015-16				2016-17				2017-18			
		सभी				सभी				सभी			
		एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15	4280	10383	4470	2	4359	11213	4491	0	4453	11350	4636
2	आंध्र प्रदेश	1113845	406259	2819122	436560	1102695	388828	2831306	435241	1115226	397687	2887655	457585
3	अरुणाचल प्रदेश	2386	239715	2257	4160	3068	197464	5243	4945	2858	194886	5635	3615
4	असम	469329	777327	1428630	2015835	455774	777442	1440291	2025967	453190	742931	1414259	1980654
5	बिहार	4630121	428802	15230660	3699879	4459435	400040	14032247	3619367	4177193	498855	13164856	3281369
6	चंडीगढ़	15066	237	3048	8954	14823	247	3889	9088	14603	298	3920	9080
7	छत्तीसगढ़	661917	1432148	2021856	71763	636704	1391689	1972082	67276	632855	1399583	1926409	67050
8	दादर नगर हवेली	1309	33061	1816	2082	1379	31526	2226	2184	1288	31262	2395	2285
9	दमन दीव	923	2540	8875	2739	1028	2530	8814	2796	1049	2413	8936	2893
10	दिल्ली	303708	11126	145539	473905	294617	11301	147185	469291	286184	11121	146762	456305
11	गोवा	2827	16313	18473	22693	3935	16960	21812	24422	2729	16066	18278	21346
12	गुजरात	631805	1584511	4512630	813619	614396	1597883	4444156	767947	608650	1554052	4319360	928134
13	हरियाणा	904008	0	1212184	286910	900191	0	1216125	292202	917806	0	1226637	292182
14	हिमाचल प्रदेश	260985	52387	126072	18635	257548	53449	124981	16343	250962	53287	123644	17370
15	जम्मू और कश्मीर	153184	292628	155598	1235313	150574	278873	158450	1137104	150933	283194	142106	1154880
16	झारखंड	963962	1843136	3017761	808736	823478	1663560	2710225	846380	906749	1717353	2825152	728127
17	कर्नाटक	1604688	653885	5227746	1246052	1603986	638767	4954742	1301961	1600309	645366	5016207	1328577
18	केरल	355099	73026	2654614	1365425	347943	70152	2650491	1380162	344857	69432	2657408	1347518
19	लक्षद्वीप	1	7472	74	7526	5	7172	81	7248	6	7147	85	7100
20	मध्य प्रदेश	2198098	3113439	5529170	673384	2109060	3030575	5345912	665755	2090420	3000895	5195867	628086
21	महाराष्ट्र	2119383	1920440	5392313	2149866	2089413	1921426	5358200	2116065	2049638	1883631	5300039	2150257

22	मणिपुर	22768	211593	122684	49305	21682	196312	140248	46420	21194	205079	142056	49755
23	मेघालय	8842	704489	5662	27302	7281	654228	6348	27151	7202	726318	6190	25141
24	मिजोरम	1114	209431	836	1822	395	197969	0	1544	424	199215	75	1284
25	नगालैंड	7973	305914	5315	13114	5668	249987	7511	14046	6739	260216	9459	14257
26	ओडिशा	1194109	1908550	2319243	106312	1166775	1872644	2261650	110525	1142485	1785192	2200327	95326
27	पुडुचेरी	32028	0	125182	12354	31595	348	121574	13490	30367	382	115133	0
28	पंजाब	1502953	396	582082	88759	1462606	448	581403	88769	1420944	2581	578411	98410
29	राजस्थान	2481601	1890509	5988668	1003253	2460005	1875696	5827815	988909	2496838	1908270	5893930	1118178
30	सिक्किम	8297	38328	42761	1664	7068	32931	35982	1738	7437	33558	35720	1508
31	तमिलनाडु	2220381	153321	6537377	538470	2177251	148565	6463322	537668	1993362	140877	6057285	535270
32	तेलंगाना	820850	589611	2320904	702227	812540	560500	2410619	741083	802940	546536	2389558	736137
33	त्रिपुरा	106214	219661	99722	68284	103466	209783	98174	67166	103088	209895	97929	62025
34	उत्तर प्रदेश	10231960	276835	18810197	4582345	9303695	288772	18124818	4857560	8981343	318311	18161686	4645310
35	उत्तराखंड	413439	49839	475609	251934	390526	47569	482998	248978	381469	44631	487607	241582
36	पश्चिम बंगाल	3471239	917832	1729811	4351635	3133860	823359	1777870	4207459	3202485	857623	1780983	4071678

स्रोत : यूडाइज 2017-18 (अनन्तिम)

संलग्नक-III

एसएसए की निगरानी' के संबंध में श्रीमती चिंता अनुराधा, श्री संजय काका पाटील और श्री वाई. देवेन्द्रप्पा द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1836 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

2016-17 **से** 2018-19 **और चालू वर्ष के दौरान में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/समग्र शिक्षा के तहत रिलीज किया गया कुल केन्द्रीय भाग और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण**

(रू. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		एसएसए		**एसएसए**		**समग्र शिक्षा**		**समग्र शिक्षा**	
		जारी केन्द्रीय हिस्सा	व्यय	जारी केन्द्रीय हिस्सा	व्यय	जारी केन्द्रीय हिस्सा	व्यय	जारी केन्द्रीय हिस्सा * (**तदर्थ** + 1 + 2 **किस्त**) (24-01-2020 **तक**)	**व्यय** # (31.01.2020 **तक**)
1	अंडमान और निकोबार	479.14	831.9	1945.53	1251.03	2180.33	1766.22	3093.94	2807.06
2	आंध्र प्रदेश	63302.18	122115.26	70431	94919.79	95096.76	190605.61	95984.12	137052.63
3	अरुणाचल प्रदेश	19956.64	30445.19	23022.07	34987.92	33048.8	41386.2	23874.17	21988.16
4	असम	87652.3	106131.38	123584	138517.86	157072.23	162023.01	112061.02	108998.16
5	बिहार	270688.4	638367.43	255797	763107.95	305837.73	558747.65	315693.12	396228.19
6	चंडीगढ़	3333.56	5673.19	9265.5	7528.56	7714.56	6605.56	6371.14	7018.03
7	छत्तीसगढ़	59262.77	170229.54	67477	160100	88206.43	152798.14	95669.73	105130.76
8	दादरा और एन।	1068.37	1974.23	5476.54	6056.8	3462.38	3555.34	3835.47	2648.55
9	दमन और दीव	300	230.5	1038.57	853.78	631.22	835.22	924.44	449.47
10	दिल्ली	8306.2	11439.95	10976.9	16056.56	13981.74	35063.19	19262.26	21691.04
11	गोवा	869.11	1791.08	862.6	2188.6	1353.03	2379.62	1426.06	1964.84
12	गुजरात	77740.5	118412.76	65046	111952.09	67089.17	152861.67	96554.57	102651.58
13	हरियाणा	32000.88	68265.36	36355	71296.29	57841.95	84409.09	61907.05	86324.59
14	हिमाचल प्रदेश	12825.46	30704.71	30874	29895.16	43295.44	52079.51	44318.07	28653.08
15	जम्मू और कश्मीर	107250.05	125783.94	153797.98	234513.73	171776.09	146445.4	15478.19	18731.36
16	झारखंड	50945.73	131992.15	58984.54	116924.18	68596	130488.03	88183.57	124826.24
17	कर्नाटक	54495.51	128686.02	54881.99	161776.4	62784	129923.72	68159.97	107374.01
18	केरल	11316.74	32147.72	13680	44203.09	25604.99	39631.31	21420.28	19058.9
19	लक्षद्वीप	239.87	250.99	406.52	393.51	265.07	217.79	728.11	359.02
20	मध्य प्रदेश	154455.08	266913.52	173814	278913.36	243783.65	359283.06	233681.84	316309.7
21	महाराष्ट्र	60369.65	192206.91	64232	226473.17	95051.92	146341.28	73423.81	82671.89
22	मणिपुर	4405.31	14384.23	18377	20806.32	25202.01	25683.1	22085.15	19282.71
23	मेघालय	20067.01	23522.18	33579.5	29152.24	23784.62	36708.57	32311.14	32618.28
24	मिजोरम	10934.31	12664.43	12000.33	12883.11	14630.41	17081.83	16556.47	9985.37
25	नगालैंड	10725.34	17000.91	11717	11229.79	19766.33	17516.7	10773.19	9238.5
26	ओडिशा	70423	156377.33	86612	186883.65	123021.51	260807.8	189169.48	207317.32
27	पुडुचेरी	304.68	577.38	622.73	748.98	804.88	2189.42	305.8	951.97
28	पंजाब	30002.69	60009.64	31665	54084.88	44400	82829.07	45324.488	45670.96
29	राजस्थान	182578.48	453491.19	198973	726452.68	262721.45	361782.35	247368.11	265700.18
30	सिक्किम	3479.24	5015.36	5684.35	6682.54	6624.19	9998.24	8892.1	6742.09
31	तमिलनाडु	82111.3	138620.06	86644	144594.98	147444.01	246585.47	164858.54	209132.92

32	तेलंगाना	41776.09	124582.92	44244.72	74259.25	68840.41	108529.98	101505.9	111706.9
33	त्रिपुरा	19190.95	19965.83	20220.38	26301.57	24896.48	29210.96	22227.72	23107.4
34	उत्तर प्रदेश	505433.99	1458836.03	424980.68	645175.27	462541.04	684631.1	476812.5	495045.27
35	उत्तराखंड	25268.98	42238.11	62499	71989.57	51138.26	47717.44	46488.53	48092.61
36	पश्चिम बंगाल	82185.33	173945.6	89657	164908.86	108934.52	199768.38	157905.49	246014.75
	कुल	2165744.84	4885824.93	2349425.43	4678063.52	2929423.61	4528487.03	2924635.53	3423544.48

नोट: *ऊपर दर्शाया गया व्यय केन्द्रीय रिलीज, राज्य के भाग के रिलीज, वित्त आयोग अवार्ड और विविध आय, यदि कोई हो, में से है।*

* 26.02.2020 तक जारी (तदर्थ+प्रथम किस्त+दूसरी किस्त)

स्रोत : पीएमएस आंकड़े रिपोर्ट

संलग्नक - IV

एसएसए की निगरानी' के संबंध में श्रीमती चिंता अनुराधा, श्री संजय काका पाटील और श्री वाई. देवेन्द्रप्पा द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1836 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

प्राथमिक स्तर पर बालिका और बालिकाओं का नामांकन (यूडाइज+ के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	2015-16			2016-17			2017-18		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25519	24594	50113	25009	24136	49145	24813	23983	48796
2	आंध्र प्रदेश	2900208	2711102	5611310	2911829	2648891	5560720	2986189	2680227	5666416
3	अरुणाचल प्रदेश	163330	159128	322458	141280	137264	278544	136944	136234	273178
4	असम	2704398	2727655	5432053	2762882	2780960	5543842	2660441	2698680	5359121
5	बिहार	11763996	11667789	23431785	10862092	10857372	21719464	10474813	10357929	20832742
6	चंडीगढ़	84791	73130	157921	84069	72329	156398	86422	74938	161360
7	छत्तीसगढ़	2272234	2185121	4457355	2213623	2136628	4350251	2189897	2113126	4303023
8	दादरा नगर हवेली	31402	27572	58974	31578	27702	59280	32065	28379	60444
9	दमन दीव	14983	12995	27978	15262	13389	28651	15433	13484	28917
10	दिल्ली	1602852	1404158	3007010	1592595	1395906	2988501	1567122	1374364	2941486
11	गोवा	102327	93982	196309	101241	92343	193584	102342	94446	196788
12	गुजरात	4873652	4217062	9090714	4814610	4197563	9012173	4735576	4120953	8856529
13	हरियाणा	2036742	1694202	3730944	2100628	1724274	3824902	2171996	1780395	3952391
14	हिमाचल प्रदेश	498049	452717	950766	493240	447434	940674	486623	442677	929300
15	जम्मू और कश्मीर	970577	886199	1856776	892417	800642	1693059	901087	825478	1726565
16	झारखंड	3304293	3217775	6522068	2959594	2829547	5789141	3110788	2978917	6089705
17	कर्नाटक	4306046	4034327	8340373	4346371	4017468	8363839	4341848	4022526	8364374
18	केरल	2052789	1959627	4012416	2033261	1942882	3976143	2025582	1930923	3956505
19	लक्षद्वीप	3852	3724	7576	3688	3590	7278	3649	3618	7267
20	मध्य प्रदेश	6702640	6099329	12801969	6503752	5882956	12386708	6333783	5759411	12093194
21	महाराष्ट्र	8524514	7519261	16043775	8495745	7489967	15985712	8460736	7451371	15912107
22	मणिपुर	253912	248684	502596	236122	226486	462608	246056	232349	478405
23	मेघालय	382320	393293	775613	355729	360734	716463	395597	399184	794781
24	मिजोरम	111054	103263	214317	104676	97270	201946	104271	97908	202179
25	नगालैंड	178236	171460	349696	150434	143684	294118	155676	148984	304660
26	ओडिशा	3269702	3058382	6328084	3207884	2990141	6198025	3083033	2889837	5972870
27	पुडुचेरी	87122	82340	169462	87137	81594	168731	85632	79566	165198
28	पंजाब	2175275	1787164	3962439	2126227	1768001	3894228	2056877	1721117	3777994
29	राजस्थान	6652274	5687861	12340135	6534144	5617961	12152105	6580556	5684082	12264638
30	सिक्किम	53946	51351	105297	48830	45951	94781	47796	45227	93023

31	तमिलनाडु	4732662	4503530	9236192	4678433	4430459	9108892	4383831	4130708	8514539
32	तेलंगाना	2576864	2428321	5005185	2491414	2326558	4817972	2470125	2311827	4781952
33	त्रिपुरा	290190	279322	569512	278926	269149	548075	276547	267156	543703
34	उत्तर प्रदेश	18530236	17895397	36425633	17682217	17025528	34707745	17577470	16748718	34326188
35	उत्तराखंड	900909	811764	1712673	885672	793623	1679295	887741	789547	1677288
36	पश्चिम बंगाल	6459444	6449590	12909034	5998263	5935759	11934022	6111315	6057800	12169115

स्रोत : यूडाइज 2017-18 (अनन्तिम)

*****